न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 19 / 2024	2024 / 48	09.07.2024	20.08.2024

1.अमरसिंह पुत्र श्री बिहारी, जाति जाट, निवासी ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।
2.राजू पुत्र स्व0 श्री बिहारीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।
3.रेशमी उर्फ रेशम देवी पत्नी स्व0 श्री बिहारीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।
4.संतरा पुत्री स्व0 श्री बिहारीलाल पत्नी सुबेसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी ग्राम कैरवा जाट तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
5.धन्नो पुत्री स्व0 बिहारीलाल, पत्नी शेरसिंह जाति जाट, निवासी ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी ग्राम कैरवा जाट तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1.तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03–05–2024 नामान्तकरण संख्या 4289 ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, उक्त नामान्तकरण खारिज किया गया। बमुराद मंसूखी उक्त आज्ञा एवं स्वीकार किए जाने अपील अपीलाण्टस व दीगर दादरसी।

उपस्थितः–
01.श्री अमरचंद चौधरी —वकील अपीलाण्ट्स
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेंट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03–05–2024 नामान्तकरण संख्या 4289 ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जिला अलवर, राजस्थान से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03–05–2024 नागान्तकरण संख्या 4289 ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान के खिलाफ यह प्रथम राजस्व अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। हम अपीलान्टस को पूर्व में उक्त आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03–05–2024 नामान्तकरण संख्या 4289 ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान की कोई जानकारी नही थी। क्योंकि उक्त आज्ञा रैस्पाडेन्ट द्वारा हम अपीलान्टस के की गैरहाजरी व गैरमौजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी कियें, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये पारित की गई। इसलिए अपील समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। जिसमें हम अपीलान्टस की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही हैं। उक्त आलोच्य आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी हम अपीलान्टस को दिनांक 06–06–2024 को हुई, जब हम अपीलान्टस ने हमारी कृषि के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, तो पटवारी हल्का ने मौखिक रूप से उक्त आलोच्य आज्ञा की जानकारी की। इस पर हम अपीलान्टस ने दिनांक 06–06–2024 को उक्त आलोच्य आज्ञा की नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 06–06–2024 को तैयार होकर प्राप्त हुई। दिनांक 07–06–2024 को नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब न्यायालय श्रीमान में अपील पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 08–06–2024 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 06–06–2024 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा दिनांक 03–05–2024 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 06–06–2024 तक का समय हम अपीलान्टस की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य हैं। जहां आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई हों. वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चौलेन्ज किया जा सकता है, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्टस न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 06–06–2024 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03–05–2024 नामान्तकरण संख्या 4289 ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान की सत्य छायाप्रति/सत्यप्रतिलिपी संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03–05–2024 नामान्तकरण संख्या 4289 ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान न्यायिक विधि एवं तथ्यो एवं मौके व कब्जे व राजस्व रिकार्ड के खिलाफ हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

इसलिए निरस्तनीय हैं। निरस्त फरमायी जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। राजस्व वाद संख्या 1/190/2023 बअनुवान अमरसिंह एवं अन्य–वादीगण (बनाम) समयसिंह एवं अन्य प्रतिवादीगण अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान में विचाराधीन था। जिस वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान द्वारा अपीलान्टस के हक में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2023 को पारित किये हैं, कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है, कि विवादित्त आराजी हाल खसरा नम्बर 3396/6061 रकबा 41 ऐयर, 4608 रकवा 64 ऐयर सालिम, खसरा नम्बर 2070 रकबा 41 ऐयर के 33/80 हिस्सा वाके ग्राम मालाखेडा का वादीगण 1 लगाणि 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। हाल राजस्व रिकॉर्ड से बिहारी पुत्र भूरजी जाति जाट के नाम के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान वादीगण संख्या 1 लगा० 5 का इन्द्राज किया जावें। उक्त निर्णय एवं डिक्री उक्त अदालत आज दिन तक प्रभावशील हैं, किसी सक्षम अदालत द्वारा स्थगित, संशोधित अथवा निरस्त नहीं किये गये हैं। उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर नामान्तकरण अपने हक में दर्ज व तस्दीक कराने के लिए हम अपीलान्टस ने इजराय प्रार्थनापत्र उक्त न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर रैस्पाडैन्ट को मुताबिक निर्णय एवं डिक्री राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन आलोच्य नामान्तकरण संख्या 4289 दिनांक 14.04.2024 को भरकर भू. अ. निरीक्षक के समक्ष पेश किया, जिसका मिलान किया गया, तथा तस्दीक हेतु रैस्पाडैन्ट के समक्ष पेश किया गया। जिस नामान्तकरण को रैस्पाडैण्ट ने आलोच्य आज्ञा दिनांक 03.05.2024 द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुयें, खारिज किया गया हैं। जिस आज्ञा नामांतकरण से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा नामांतकरण निरस्त होने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

पटवारी हल्का द्वारा आलोच्य नामान्तकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 3396/6061 रकबा 41 ऐयर तथा 2070 रकबा 41 ऐयर के 33/80 हिस्सा का दर्ज किया गया हैं, लेकिन खसरा नम्बर 3396/6061 रकबा 41 ऐयर में अपीलान्ट अमरसिंह की वल्दीयत दर्ज नही की हैं, तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 4608 रकबा 64 ऐयर सालिम का नामान्तकरण ही दर्ज नही किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान के समक्ष विचाराधीन उक्त बाद में स्वयं रैस्पाडैन्ट भी पक्षकार मुकदमा हैं। तथा उक्त अदालत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर अपीलान्टस के हक में उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये हैं। इसलिए कानूनन उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर रैस्पाडैन्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलान्टस के हक में स्वीकार करना चाहिये था। और उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने में कोई बाधा नहीं हैं। उक्त निर्णय एवं डिक्री से भी साबित है, कि रैस्पाडैन्टस द्वारा अपीलाधीन आज्ञा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित की गई हैं। पटवारी हल्का द्वारा सही प्रकार नामान्तकरण दर्ज नही किया हैं, तथा रैस्पाडैन्ट ने राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन नही किया हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

इसलिये आलोच्य आज्ञा विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। 8– यह कि रैस्पाडेन्ट ने उक्त निर्णय एवं डिक्री के विपरीत तथ्य कि डिक्री व रिकॉर्ड का मिलान नही होने के कारण नामा० खारिज किया जाता हैं' लिखते हुये, अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई हैं। जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही हैं, जिससे उक्त तथ्य किसी प्रकार साबित हों। क्योंकि निर्णय एवं डिक्री की प्रति से ही आलोच्य नामान्तकरण दर्ज किया गया हैं। इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री के अनुसार अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करना चाहिये था। लेकिन रैस्पाडेन्ट ने खिलाफ कानून व साक्ष्य निष्कर्ष निकालतें हुए, अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किया गया हैं। जो नामान्तकरण विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

उक्त निर्णय एवं डिक्री प्रभावशील रहते हुए, अन्य किसी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत की कानूनन आवश्यकता नहीं हैं। उक्त वर्णित सूरत में अपीलाधीन नागान्तकरण में दर्ज उक्त तथ्य को कलमजन किया जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्य के विपरीत एंव निर्णय एवं डिक्री के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। अपीलाधीन आज्ञा कायम रहने से हम अपीलान्टस के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता हैं। इसलिए अपील पेश की जा रही हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। रैस्पाडैन्ट ने आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व हम अपीलाण्टस जो कि पीडित व हितबद्ध पक्षकार हैं, को तलब नहीं किया गया, ना उनको कोई नोटिस जारी कर सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा नामांतकरण मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ व पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। यह कि रैस्पाडैन्ट ने अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित की हैं, इसलिए निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगें।

अतः अपील अपीलाण्टस प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्टस स्वीकार कर आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03.05.2024 नामान्तकरण संख्या 4289 ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2023 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करने के लिए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावें। व अन्य उचित आज्ञा जो न्यायसंगत हों, बहक अपीलान्टस विरूद्ध रैस्पाडैन्ट सादिर फरमायी जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गया। रेस्पोडेंन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया गया कि नामान्तरण संख्या 4289 दिनांक 03.05.2024 वाके ग्राम मालाखेडा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर द्वारा दिनांक 20.12.2023 को पारित आदेश के मुताबिक नही खोला गया है। नामांतरण में प्रार्थी की वल्दीयत का अंकन नही किया गया है। आराजी खसरा न0 4608 रकबा 64 ऐयर को नामान्तरण में शामिल ही नहीं किया गया है। नामान्तरण अधूरा है इसलिए नामान्तरण को खारिज कर मुताबिक आदेश नामान्तरण जारी करने का निवेदन किया। बहस पूर्ण।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। नामान्तरण परत से रिकॉर्ड का मिलान किया गया। बहस में अंकन कराये गये बिन्दु से मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार नामान्तरण मुताबिक आदेश के दर्ज नहीं किया गया है। अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा स्वीकृत/पारित इंतकाल संख्या 4289 निर्णय दिनांक 03.05.2024 वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को पत्रावली इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि कार्यालय में प्रकरण दर्ज करें एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर द्वारा दिनांक 20.12.2023 को पारित आदेशानुसार 30 दिवस में विस्तृत निर्णय पारित कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)